मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के कार्यान्वयन के बाद शुल्क छूट योजनाएं

5843. **श्री अजीत जोगी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के कार्यान्वयन के बाद शुल्क छूट योजनाओं के अंतर्गत कोई उपलब्धि प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत धोखाधड़ी और "बेनामी" लेन देन के बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) से (घ) वैबल योजना की एक प्रमुख उपलब्धि यह रही कि इसके तहत मूल्यवर्धन मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंसों पर प्राप्त मूल्यवर्धन की तुलना में अधिक रहा है। वर्ष 1992-93 के दौरान मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों के तहत प्राप्त मूल्यवर्धन 188% रहा जबकि मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंसों के तहत यह 84% रहा था। वर्ष 1993-94 में ये आंकड़े क्रमशः 151% और 134% रहे। वर्ष 1994-95 में (दिनांक 31 दिसम्बर, 1994 तक) ये आंकड़े क्रमशः 166% और 119% रहे।

इस योजना की एक और उपलब्धि यह रही है कि मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के आरंभ होने के बाद उसके द्वारा कवर किए गए विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात वृद्धि हुई है। यह वृद्धि विशेषरूप से समुद्री उत्पादों, प्लास्टिक तथा लिनोलियम उत्पादों, टायर तथा ट्यूबों और लोहे तथा इस्पात में देखी गई है।

हालांकि ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें अन्य बातों के अलावा ऐसी फर्मों के अस्तित्व में नहीं होने का आरोप लगाया गया जिन्होंने मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों के लिए आवेदन किया है, लेकिन जांच से पता चला है कि मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग नहीं हुआ है। इस प्रकार के उल्लंघन के मामलों को विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के संगत उपबन्धों के अधीन निपटाया जाता है।

एम॰आई॰टी॰सी॰ओ॰ और एम॰एम॰टी॰सी॰ का विलय

5844. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम॰आई॰टी॰सी॰ओ॰ का खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम॰एम॰टी॰सी॰) के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा ऐसा कब तक कर लिया जाएगा;

(ग) इस समय एम॰आई॰टी॰सी॰ओ॰ का कार्यक्षेत्र कहां-कहां है और इसके अन्तर्गत किन-किन मदों का व्यापार होता है;

(घ) एम॰आई॰टी॰सी॰ओ॰ के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या कितनी है और क्या उन्हें, वेतन, आदि समय पर मिल रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) और (ख) लगातार हो रही वित्तीय हानि के कारण बी॰आई॰एफ॰आर॰ (औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड) ने मिटको को रूग्ण घोषित किया। सरकार ने सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया है कि मिटको को व्यवहार्य बनाने के लिए इसका एम एम टी सी के साथ विलय किया जाए। क्रियाविधि संबंधी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने पर ही विलय प्रचालन में आएगा।

(ग) मिटको अभी अभ्रकानगर, भीलवाड़ा, कलकत्ता, दिल्ली, गिरीडीह, गुंटुर, झुमरीतलैया, मद्रास और पटना में काम कर रहा है तथा अभ्रक छीलन और अभ्रक कागज हीटर माइकेनाइट, अभ्रक पाउडर और अन्य अभ्रक उत्पादों के निर्यात का कार्य कर रहा है।

(घ) एवं (ङ) इस समय मिटको में 533 कर्मचारी हैं। मार्च, 95 तक की अवधि के वेतन/मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है तथा अप्रैल, 95 के वेतन का भुगतान किया जा रहा है। वित्तीय कठिनाईयों के कारण मिटको वेतन का भुगतान समय पर करने में असमर्थ रहा है।

Purchase of Tobacco in Karnataka by Tobacco Board

5845. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state: